

बीर/अथवा अदालती कार्यवाही के पूरा होने में कितना समय लगता है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में अधिग्रहण के मामले की सख्य साधारणतः हर साल कई हजार होती है। इसलिये आवश्यक्ता से अधिग्रहण के प्रत्येक मामले में प्रस्तुत माल किन्ने समय तक रोक रखा गया।

(ग) से (ङ) जिन मामलों में पकड़ा गया माल पाटियों का वापस कर दिया जाता है उन मामलों में माल के पकड़ते समय धाके गये मूल्य से भिन्न कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है। इसके अलावा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबन्धों के अन्तर्गत उनको प्रायः कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हुए माल को रोक रखते हैं। इसलिये सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा माल को रोक रखने की अवधि में माल की कीमत गिर जाने के कारण मालिकों को हानि वाली हानि का मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कृष्ण केन्द्रीय मन्त्रीयों के टर्नी-कोनो आदि पर सत्र

6158 श्री राम लेखक यादव
श्री आर्षं फरनेण्डीज :
श्री जेल्सू प्रसाद :
श्री रवि राय :
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या नियंत्रण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नये मंत्रिमंडल की स्थापना से शत्रु नक वैदेशिक-कार्य वाणिज्य और गृह-कर्म मंत्री के टेलीफोन बिजली और फर्नीचर पर किन्ना धन व्यय हुआ है ?

निर्वाण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) . सामग्री, एकत्रित की जा रही है तथा मसौदा पटल पर रख दी जायेगी।

Cola Drinks

Shri R. R. Singh Deo;

Shri D. N. Deb;

Shri M. C. Majhi;

Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state

(a) the number of types of authorised cola drinks which are being manufactured in the country,

(b) whether the manufacturers of these authorised cola drinks have any qualified chemists for testing the formulae before putting the drinks in the market,

(c) whether Government also get these formulae tested to ensure that they do not have any harmful effect on the people;

(d) whether any unauthorised cola drinks are being manufactured and being sold in the market, and

(e) if so, whether Government have taken any action to take the fraudulent manufacturers to task?

The Minister of Health and Family Planning (Dr S. Chandrasekhar):
(a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha

Family Planning Ministry

6160. Shri Ram Charan: Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state

(a) the total number of ex-cadre posts of Class I, II and III in his Ministry, attached offices, and subordinate offices, sanctioned and filled up during the last five years upto the 31st March, 1967,

(b) the number out of these posts filled up through direct recruitment, departmental promotions and taking officers on deputation, separately, and

(c) the total number out of these posts filled from candidates belonging to Scheduled Castes/Tribes?